सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00164

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : ओ,पी.जैन आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 24/2017

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) स्थानान्तरण हाल प्रतिनियुक्त श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. कुलदीप पुत्र हेतराम चौधरी (एफ.बी. ओ. एवं विक्रेता)
   मै0 एग्रो हाइजी फूडस, 3 यू.आई.टी. रोड, श्रीगंगानगर।
   निवासी :– ट्रांसपोर्ट नगर, बी1–बी 2, हनुमानगढ रोड़, श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 28.06.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृति दिनांक 31.05.2016) दिनांक 06.04.2016 को 5.50 पी.एम.पर फर्म मै0 एग्रो हाइजी फूडस, 3 यू.आई.टी. रोड, श्रीगंगानगर पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म मालिक कुलदीप पुत्र हेतराम चौधरी निवासी ट्रांसपोर्ट नगर, बी1–बी 2, हनुमानगढ रोड़, श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को **मिर्च पाउडर** (**Nature Pure**) आदि विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर** (**Nature Pure**) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की ,दुकान में बिक्री हेतु मौजूद **मिर्च पाउडर** (**Nature Pure**) 80x200 ग्राम पैकेटो में से 80x200 ग्राम पैकेट खरीदे जिनकी कीमत 410/–रूपये अदा की एवं खरीद रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों के सामने 3X200 ग्राम पैक्ड पैकेटो को मिलाकर टैप से चिपकाया एवं इस प्रकार चार पैकेट बनाए लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कुमार राजपूत ने भी हस्ताक्षर किये। नमूना पैकट पर 1–1 लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.कम सी.एम.एच. ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–706 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता कुलदीप ने पढकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः एलएस/1040/एक्ट/2016/1931 दिनांक 23.05.2016 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–706 **मिर्च पाउडर (Nature Pure) अमानक स्तर SUB STANDARD** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त कुलदीप पुत्र श्री हेतराम चौधरी मै0 एग्रो हाइजी फूडस, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **मिर्च पाउडर (Nature Pure)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 15.11.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना क्रमांक के–706 में परिवाद माननीय न्यायालय में दिनांक 13.11.2017 को प्रस्तुत किया गया है। जन विश्लेषक द्वारा भेजी गई अपनी रिपोर्ट संख्या एलएस/1040/एक्ट/2016/1931 दिनांक 23.05.2016 नमूना संख्या के–786 की रिपोर्ट अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 30.05.2016 को उनके कार्यालय में प्राप्त हो चुकी थी, जबकि अभिहित अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र क्रमांकः एफएसएसए/2017/159 दिनांक 14.07.2017 को एफ.बी.ओ. को धारा 46(4) के अन्तर्गत सलंग्न कर प्रेषित की गई थी। प्रस्तुत परिवाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–706 के सम्बन्ध में परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जबकि एफ.बी.ओ. से नमूना संख्या 786 के अन्तर्गत लिया गया था जिसकी रिपोर्ट सलंग्न परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट संख्याः एलएस/1040/एक्ट/2016/1931 दिनांक 23.05.2016 नमूना संख्या के 786 की है, जबकि प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन में नमूना संख्या के–706 के विरूद्व परिवाद पेश किया गया है जो कि मेरे अभियुक्त से लिये गये नमूना संख्या के–786 के विरूद्व नहीं है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में मिसब्रान्ड फूड बताया गया है जबकि न्याय निर्णयन ओदन में सब स्टेन्डर्ड (अमानक) फूड के अन्तर्गत लिखते हुए धारा 52 के अन्तर्गत परिवाद पेश किया गया है जबकि धारा 52 मिस ब्रान्ड फूड के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए शास्ति अधिरोपित किये जाने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

का प्रावधान करती है जबकि सब स्टैन्डर्ड (अमानक) फूड के लिस शास्ति का प्रावधान धारा 51 के अन्तर्गत किया गया है। प्रस्तुत परिवाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) धारा 52 में परिवाद पेश कर रहें है जबकि सब स्टैन्डर्ड फूड के लिए शास्ति का प्रावधान धारा 51 में विधि द्वारा किया गया है। प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों व गलत रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किये जाने योग्य है। अतः उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लघन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर अधिरोपित कि जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिर्च पाउडर (Nature Pure)** का सैम्पल **के–706** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1040/ एक्ट/2016/1931 दिनांक 23.05.2016 द्वारा **SUB STANDARD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 2006 धारा 26(ii) एवं 51** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। राजकीय पैरोकार ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह कहना कि अभियोजन स्वीकृति खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (Nature Pure)** का नमूना संख्या के–706 के स्थान पर नमूना संख्या **के–786** के विरूद्व परिवाद पेश किया जो एक लिपकीय त्रुटि है जो सहवन से अंकित हुई जबकि जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1040/एक्ट/2016/1931 दिनांक 23.05.2016 द्वारा **SUB STANDARD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 2006 धारा 26(ii) एवं 51** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना संख्या के–706 के सम्बन्ध में परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जबकि एफ.बी.ओ. से नमूना संख्या 786 के अन्तर्गत लिया गया था। रिपोर्ट संख्याः एलएस/1040/एक्ट/2016/ 1931 दिनांक 23.05.2016 नमूना संख्या के 786 की है, जबकि प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन में नमूना संख्या के–706 के विरूद्व परिवाद पेश किया गया है। मेरे अभियुक्त से लिये गये नमूना संख्या के–786 के विरूद्व नहीं है। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में मिसब्रान्ड फूड बताया गया है जबकि न्याय निर्णयन ओदन में सब स्टेन्डर्ड (अमानक) फूड के अन्तर्गत लिखते हुए धारा 52 के अन्तर्गत परिवाद पेश किया गया है। धारा 52 मिस ब्रान्ड फूड के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान करती है जबकि सब स्टैन्डर्ड (अमानक) फूड के लिए शास्ति का प्रावधान धारा 51 के अन्तर्गत किया गया है। प्रस्तुत परिवाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) धारा 52 में परिवाद पेश कर रहें है। सब स्टैन्डर्ड फूड के लिए शास्ति का प्रावधान धारा 51 में विधि द्वारा किया गया है। परिवाद गलत तथ्यों व गलत रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लघन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर अधिरोपित कि जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस FILE NO.1(2)2011/STATES/FSSAI/VOL.1 पेश की :–

1- It may be noted that Section 32 is preceded by Section 31 which deals extensively with licensing regime under the FSS Act and in fact,is a provision and cancellation of liceness granted to FBOs in case they fail to adhere to the conditions of improvement notices given under this section. This section no way precludes any action warranted under any other provisions of FSS Act and in fact is an addition to other provisions under Chapter IX dealing with offences and penalties in case there

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

is any violation of the provisions of FSS Act and Rules & regulations made thereunder.

2- The improvement notices can be issued to FBOs to regtify the labelling defects related to MGS. Needless to say any previous violation of labeling regulations has to be dealt with as per law under the provisions of Chapter IX.

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने परिवाद में अंकित तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा पेश जबाब एवं बहस में उल्लेखित तथ्यों का गहनता से मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (Nature Pure)** का नमूना संख्या के–706 के सम्बन्ध में परिवाद जो इस न्यायालय में पेश किया है वह अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक/एफ.एस.एस.ए/2017/221 दिनांक 29.09.2017 की अभियोजन स्वीकृति/ अधिकृत पक्ष के आधार पर पेश किया गया है एवं यह अभियोजन स्वीकृति/अधिकृत पक्ष में नमूना संख्या "के 706–खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (Nature Pure)**" के लिए जारी की गयी है। जबकि State Central Public health laboratory, jaipur की Form B की पत्रांक 1931 दिनांक 23.05.2016 द्वारा जारी रिपोर्ट के–786 नमूने के लिए जारी दर्ज है। जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 1040/एक्ट/2016/1931 दिनांक 23.05.2016 द्वारा **मिर्च पाउडर (Nature Pure)** खाद्य पदार्थ MISBRANDED FOOD होना पाया गया है परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद **SUB STANDARD** का पेश किया है। **SUB STANDARD** के लिए शास्ति धारा 51 में प्रावधान है एवं MISBRANDED FOOD के लिए शास्ति धारा 52 में प्रावधान है। साथ अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2018 प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि एफ.बी.ओ. फर्म एग्रो हाइजी फूडस, 3 यू.आई.टी. रोड श्रीगंगानगर द्वारा उक्त स्थान पर होने वाले निर्माण व विक्रय के कार्य को बन्द कर दिया गया है साथ ही रिपोर्ट दिनांक 23.05.2016 गलत नमूने की पेश दर्ज है एवं अपचारी द्वारा अपना व्यवसाय भी बंद कर दिया है जिससे भविष्य में MISBRANDED होने की संभावना भी नहीं है। अतः निर्णयन आवेदन पत्र खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर